

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

[प्ररूप-20]

अन्तिम परिणाम पत्र

[नियम 56 ग (2) (ग) देखिये]

संशोधित

अनुमान अधिकारी
निर्वाचन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
(म.प्र.)

(अधिसूचित मतदान केन्द्रों से भिन्न मतदान केन्द्रों पर मतदान का परिणाम अभिलिखित करने के लिये उपयोग में लाया जाए)

..... निर्वाचन क्षेत्र से

..... के लिए निर्वाचन

भाग-1

(संसदीय और विधान सभा दोनों निर्वाचनों के लिये उपयोग में लाया जाए)

सभा खण्ड का नाम (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में सभा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड में निर्वाचकों की कुल संख्या

मतदान केन्द्र की क्रम सं.	निम्नलिखित के पक्ष में दिए गये विधिमान्य मतों की संख्या क ख ग	कुल विधिमान्य मत	प्रतिक्षेपित मतों की संख्या	“उपरोक्त में से निविदित मतों की कोई नहीं” विकल्प संख्या के मतों की संख्या	
(1)					
(2)					
(3)					
(4)					
(5)					
(6)					
(7)					
(8)					
(9)					
(10)					
(11)					
(12)					
(13)					
(14)					

मतदान केन्द्रों पर अभिलिखित मतों की कुल संख्या

डाक मतपत्रों पर अभिलिखित मतों की संख्या

(सभी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन की दशा में भरा जावे)

डाले गये कुल मत

स्थान

तारीख

रिटर्निंग आफिसर